महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू0वि0/सम्बद्धता/2017/ 1891-90 दिनांकः 30.05.2017

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
स्वामी जय देव योगीराज महाविद्यालय,
मुज्जफरपुर, मदनापुर, शाहजहांपुर।

विषयः स्वामी जय देव योगीराज महाविद्यालय, मुज्जफरपुर, मदनापुर, शाहजहांपुर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में **स्वामी जय देव योगीराज महाविद्यालय, मुज्जफरपुर, मदनापुर, शाहजहांपुर** को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान, संस्कृत, चित्रकला) प्रत्येक विषय में एक--एक सेक्शन (अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन) पाठ्यकम/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ताओं की नियुक्ति व अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन वांछित रहते दिनांक 01.07.2017 से तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती हैः-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति ।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. परीक्षा नियंत्रक।/उप कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव

संख्या 2052
27/8/2013

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ०प्र० ★

नवीकरण संख्या B-415 2013

फाइल संख्या I-154274

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि स्वामी जयदेव योगिराज जी महाराज शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, ग्राम मुजफ्फरपुर पो० [illegible] [illegible] जिला शाहजहाँपुर को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1664/2008-2009

दिनांक 31-7-2008 को दिनांक 31-7-2013 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1100-00 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Photo Copy Attested
(Pooran Lal Prajapati)
Advocate & Notary
Bareilly Region (U.P.) India
Reg. No. 2812/05
31/8/13

दिनांक 27/8/ 2013

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

महाविद्यालय में नियुक्त प्राचार्य एवं संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों का विवरण

महविद्यालय का नाम- स्वामी जयदेव योगीराज महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर , मदनापुर शाहजहांपुर

प्राचार्य का नाम- डॉ0 मणिराम त्रिपाठी जन्मतिथि- 12/01/1953 आधार न. 627446415472 मो. 9997117409, ई. मेल- ups30778@gmail.con

खाता न. 001513000027611 बैंक का नाम- सहकारी बैंक जलालाबाद IFCS CODE- ICIC00SJDCB

क्रसं	पाठ्य क्रम	विषय	शिक्षक का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	आधार न.	मो० न०	ई-मेल	खाता सं.	बैंक का नाम
1	B.A	हिन्दी	आशीष कुमार यादव	रामकुमार यादव	20-01-89	348743375251	9451536291		001513000027612	सहकारी बैंक
2	B.A	संस्कृत	जीतेन्द्र कुमार	मदन लाल वर्मा	01-10-91	942417923184	9651651516		001513000027613	सहकारी बैंक
3	B.A	अंग्रेजी	शर्मिला	दलवीर सिंह	15-04-79	856856335248	8416820558		001513000027614	सहकारी बैंक
4	B.A	समाजशास्त्र	सीमा पटेल	कुंजबिहारी पटेल	10-03-85	319445361902	7905931020		001513000027615	सहकारी बैंक
5	B.A	गृहविज्ञान	डॉ0 शिल्पी वर्मा	दिनेश कुमार वर्मा	01-09-82	579822686230	7007356299		001513000027617	सहकारी बैंक
6	B.A	शिक्षाशास्त्र	जयकरन सिंह	गुलवीर सिंह	11-11-85	843742528636	9129073026		001513000027616	सहकारी बैंक
7	B.A	कला	अवनीश	विनोद कुमार	15-07-95	926435821469	8009474971		001513000027618	सहकारी बैंक